न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2017
दायर दिनांक – 20/07/2017
निर्णय दिनांक –03/04/2018

अनवान

1. अखील बहेड़िया पिता शंकरलाल बहेड़िया, नाबालिग जरिये संरक्षक पिता शंकरलाल पिता बंशीलाल बहेड़िया निवासी डी.ए. 9, न्यू बापु नगर, पुर रोड़ भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी, जरिये सरपंच तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. सोहनी देवी पत्नि बंशीलाल जाति महाजन, निवासी कोटड़ी तहसील रेलमगरा
3. बंशीलाल पिता दयाराम जाति कुम्हार, निवासी कोटड़ी, तहसील रेलमगरा,

रेस्पोडेण्टगण

अपील निर्णय विरूद्ध ग्राम पंचायत कोटड़ी के नामान्तरकरण सं. 1873 दिनांक 17/10/2016 व नामान्तरकरण सं. 1901 दिनांक 24/03/2017 से अप्रसन्न होकर

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील निर्णय विरूद्ध ग्राम पंचायत कोटड़ी के नामान्तरकरण सं. 1873 दिनांक 17/10/2016 व नामान्तरकरण सं. 1901 दिनांक 24/03/2017 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गयी कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं. 2 दो एक ही परिवार के सदस्य है तथा अपीलाण्ट स्व. बंशीलाल पिता रामसुख जी बहेड़िया निवासी कोटड़ी के पोत्र है तथा रेस्पोडेण्ट सं. 2 दो स्व. बंशीलाल जी की पत्नि है। स्व. बंशीलाल पिता रामसुख जी बहेड़िया महाजन निवासी कोटड़ी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात 3566/1735 रकबा 00–02 बिस्वा भूमि ग्राम कोटडी में स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी की प्रति संलग्न है। स्व. बन्शीलाल पिता रामसुख महाजन निवासी कोटडी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम पर बनाई थी जो कि दिनांक 18.06.1999 को बनाना नामानतरकरण संख्या 1873 से जाहिर आया है। उसके बाद बंशीलाल जी ने अपने ही जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 27.01.2014 को निष्पादित की। उक्त वसीयत अपीलाण्ट के नाम पर निष्पादित की उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि उक्त वसीयत नामा मेरा अन्तिम वसीयत नामा है एवं इससे पूर्व मैने एक वसीयत दिनांक 18.06.1999 को श्रीमति सोहनी देवी पत्नि बंशीलाल बहेड़िया निवासी कोटड़ी के पक्ष मे लिखी थी। जिसे मै आज

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दिनांक को निरस्त करता हूँ तथा आज से पूर्व की और कोई भी वसीयत किसी के भी पक्ष में निकलती है तो उसको निरस्त करता हूँ। अतः आज दिनांक के पूर्व समस्त वसीयत नामा को निरस्त समझा जावे। आज दिनांक के पूर्व कोई भी वसीयत या विक्रय पत्र मेरे हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी का कोई भी बताता है तो वह गलत अमान्य होगा। उक्त वसीयत गवाहन लक्ष्मीलाल बहेड़िया एवं उदयलाल पिता सुखलाल इनाणी निवासी कोटड़ी की मोजुदगी में अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित की। प्रमाण में वसीयत की फोटोप्रति अपील के साथ प्रस्तुत की। बंशीलाल पिता रामसुख जी बहेड़िया की मृत्यू 17.03.2015 को हो गई जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेण्ट सं. 2 दो ने उक्त वसीयत के आधार पर पटवार हल्का से मिलकर बंशीलाल जी के नाम की स्थित आराजीयात 3566/1735 का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर नामान्तरकरण सं. 1873 दिनांक 17.10.2016 को उसके पक्ष में निर्णित करा दिया। एवं उक्त गलत तरिके से जानबुझकर की स्वर्गीय बंशीलाल जी ने रेस्पोडेण्ट सं. 2 दो के पक्ष में की गई वसीयत को निरस्त करते हुऐ अपीलाण्ट के नाम पर अन्तिम वसीयत निष्पादित कर दी है यह जानते हुए भी नामान्तरकरण अपने पक्ष में करवाया एवं रेस्पोडेण्ट सं. 2 दो के मन में बद्यान्ति आ जाने के कारण एवं जानबुझकर अपीलाण्ट को नुकसान देने की नियत से उक्त जमीन उसके नाम पर करवाई एवं ग्राम पंचायत द्वारा एवं पटवारी हल्का द्वारा सही जांच नहीं कर गलत नामान्तरकरण फैसल किया। जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेण्ट सं. 2दो ने उक्त आराजीयात को रेस्पोडेण्ट सं. 3तीन को विक्रय कर दी एवं रेस्पोडेण्ट सं. 3तीन ने नामान्तरकरण सं. 1901 दिनांक 24.03.2017 को अपने नाम नामान्तरकरण फैसल करवा दिया। जबकि रेस्पोडेण्ट सं. 02 व 03 को भलीभांति इस बात की जानकारी थी कि स्वं. बंशीलाल ने सोहनी देवी के पक्ष में की गई वसीयत को निरस्त कर अंतिम वसीयत अपीलाण्ट के नाम पर निष्पादित कर दी है। जिससे अपीलाण्ट उक्त दोनो नामान्तरकरण से अप्रसन्न होकर उक्त अपील दोनों नामान्तरकरण की आत न्यायालय में निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोटड़ी ने नामान्तरकरण सं. 1873 एवं 1901 को फैसले करने में भारी विधि एवं तथ्यों संबंधित भूल की है तथा अपीलाण्ट को बिना सुने उक्त नामान्तरकरण बाले बाले रेस्पोडेण्ट सं. 02 के नाम पर निर्णित करने से एवं रेस्पोडेण्ट सं. 02 के नाम पर निर्णित करने से एवं रेस्पोडेण्ट सं. 02 द्वारा उक्त गलत नामान्तरकरण का फायदा उठाकर रेस्पोडेण्ट सं. 03 को विक्रय कर दिया एवं रेस्पोडेण्ट सं. 03 के नाम नामान्तरकरण विधि विरूद्व फैसल किया गया है। स्व. बंशीलाल जी ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेण्ट सं. 02 के पक्ष में वसीयत दिनांक 18.06.1999 को निष्पादित की। जिसे पुनः अपने जीवनकाल में ही दिनांक 27.01.2014 को दुसरी एवं अन्तिम वसीसयत अखील बहेडिया अपीलाण्ट के नाम पर निष्पादित की एवं उक्त दुसरी वसीयत में स्व. बंशीलाल के द्वारा पूर्व में रेस्पोडेण्ट सं. 02 के पक्ष में की गई वसीयसत को निरस्त करते हुऐ अपीलाण्ट के पक्ष में दुसरी और अन्तिम वसीयत निष्पादित की, जिसकी जानकारी रेस्पोडेण्ट सं. 02 को होते हुऐ भी उसने अपीलाण्ट के नाबालिग होने का फायदा उठाकर स्व. बंशीलाल जी की जमीन जरिये नामान्तरकरण सं. 1873 से पटवार हल्का एवं ग्राम पंचायत मिलीभगत कर अपने नाम पर करवा ली एवं उक्त गलत

कलक्टर
अधिकारी)
नगरा

नामान्तरकरण के जरिये प्राप्त उक्त आराजी सं. 3566/1735 रकबा 0–02 दो बिस्वा भूमि को बाले बाले रेस्पोडेण्ट सं. 03 को विक्रय कर दी एवं रेस्पोडेण्ट सं. 03 ने नामान्तरकरण सं. 1901 के जरिये उसके नाम करवा दी। उक्त दोनो नामान्तरकरण अपीलाण्ट के मुकाबले शुन्य एवं निरसत होने योग्य है। क्योंकि स्व. बंशीलाल जी ने अपनी दुसरी एवं अन्तिम वसीयत अपीलाण्ट के नाम पर निष्पादित की एवं अपीलाण्ट ही उक्त सम्पति को प्राप्त करने का एकमात्र अधिकारी है। जिस कारण उक्त दोनो नामान्तरकरण अपीलाण्ट के मुकाबले शुन्य है। रेस्पोडेण्ट सं. 02 ने उक्त गलत नामान्तरकरण के जरिये राजस्व अभिलेचा में बंशीलाल पिता रामसुख महाजन बहेडिया की जमीन उसके नाम करा उसका नाजायज लाभ उठाने की नियत से बाला बाला अपीलाण्ट से पोषिदा रख उक्त भूमियों को रेस्पोडेण्ट सं. 03 को विक्रय कर दी है। यह विक्रय अपीलाण्ट के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है व अपीलाण्ट के हक के लिए निष्प्रभावी है तथा रेस्पोडेण्ट सं. 02 द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 03 को किया गया विक्रय पत्र अपीलाण्ट के मुकाबले रद्दी के कागज के बराबर है तथा विक्रय पत्र से राजस्व अभिलेखों में हुये इन्द्राज भी अवैध व शून्य है। उक्त विक्रय पत्र को एवं इसके नामान्तरकरण को इगनोर करते हुऐ अपीलाण्ट यह अपील पेश कर रहा है। अपीलाण्ट के पक्ष में स्व. बंशीलाल पिता रामसुख जी बहेड़िया ने दुसरी एवं अन्तिम वसीयत दिनांक 27.01.2014 को निष्पादित की थी एवं उक्त वसीयत में वसीयतकर्ता स्व. बंशीलाल पिता रामसुख जी बहेड़िया ने पूर्व में सोहनी देवी पत्नि बंशीलाल बहेड़िया जो कि वसीयतकर्ता स्व. की पत्नि थी के पक्ष में दिनांक 18.06.1999 को की गई वसीयत को इस दुसरी एवं अन्तिम वसीयत में निरस्त कर दिया है। जिस कारण भी रेस्पोडेण्ट सं. 02 द्वारा उक्त निरस्तशुदा वसीयत के आधार पर जो नामान्तरकरण उसके पक्ष में फैसल करवाया है वह भी प्रारम्भतः शुन्य है एवं अपीलाण्ट के पक्ष में की गई वसीयत के पश्चात् स्व. बंशीलाल पिता रामसुख जी बहेडिया ने कोई अन्य वसीयत नहीं की है। जिस कारण अपीलाण्ट के पक्ष में की गई वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यू हो जाने के कारण आज भी अस्तित्व में है। जिस कारण रेस्पोडेण्ट सं. 02 ने अपने पक्ष में कराये गये नामान्तरकरण को एवं उक्त गलत नामान्तरकरण के कारण रेस्पोडेण्ट सं. 03 को किये गये विक्रय पत्र के आधार पर निर्णित किये गये नामान्तरकरण सं. 1873 एवं 1901 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत अपीलाण्ट के द्वारा की जा रही है। उक्त दोनो नामान्तरकरण को निरस्त कराया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को यह आदेशित किया जावे कि उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम पर निर्णित किया जावें एवं राजस्व रेकार्ड में इसका पुनः ईन्द्राज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा वसीयत के आधार पर जा नामान्तरकरण फैसल किया गया है उक्त नामान्तरकरण को निर्णित करने से पूर्व वसीयत की प्रमाणिकरण हेतु साक्ष्य संकलित करनी चाहिएं थी जो नही की एवं वसीयत की पूर्णतः जांच नहीं की। ग्राम पंचायत को धारा 68 साक्ष्य अधिनियम की पालना करनी चाहिए थी जो नहीं की है। एवं प्रोबेट की पालना भी नहीं की है। जिससे उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट के पिता को आज से करीबन डेढ़ माह पूर्व हुई एवं राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त कर यह अपील अन्दर

...क कलेक्टर,
...ण्ड अधिकारी)
...लमगरा

अवधि प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी सम्भावित कानुनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुऐ मयाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र साथा संलग्न है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा दिनांक 17.10.2016 नामान्तरकरण सं 1873 एवं दिनांक 24.03.2017 नामान्तरकरण सं. 1901 को निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें एवं अपीलाण्ट के नाम उक्त आराजीयात का ईन्द्राज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने अपना वकालातनामा प्रस्तुत कर धारा 05 के प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा एवं सीधे ही बहस चाही गयी।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस रेस्पोडेण्ट्स अधिवक्ता ने नजीरे RRT 2009 (1) के पेज संख्या 500 से 503, RLW 2009 (1) के पेज संख्या 132 से 136, RLW 2003 (1) के पेज संख्या 512 से 516, RLW 2005 (2) के पेज संख्या 64 से 67, RRT 2001 (2) के पेज संख्या 990 से 994, RRT 2003 (2) के पेज संख्या 870 से 873, RRT 2004 (2) के पेज संख्या 1140 से 1144 के प्रस्तुत की गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोटड़ी के नामान्तरकरण सं. 1873 निर्णय दिनांक 17/10/2016 व नामान्तरकरण सं. 1901 निर्णय दिनांक 24/03/2017 को खारिज किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुन विधि संवत् नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2018 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा